Departmental Examination of Secretariat Assistants
सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा

ज्ञाप संख्या—ए० ए० प्र० २-१०१०/७१/५३५६/वि०
बिहार सरकार
वित्त विभाग।

पटना, दिनांक ५-६-१९७२।

प्रेषक,

श्री सुदेव मुखर्जी,
सरकार के उप-सचिव, वित्त विभाग।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव
सरकार के सभी अपर सचिव
सचिवालय के सम्बद्ध सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
मुख्य वन संरक्षक, रांची।

विषय— सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा प्रमंडलीय आयुक्तों एवं मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों के परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि वर्त्तमान में परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों में निम्नांकित तीन श्रेणी के सहायक हैं :—

(क) ऐसे निम्नवर्गीय सहायक जो १९६१-६२ में सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भर्ती परीक्षा में या उसके पूर्व किसी और विशेष/सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हैं।

(ख) ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक जो १९६६ में निम्नवर्गीय सहायकों की विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण स्थाई/औपबन्धिक स्थाई पदों पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किये गये है।

(ग) ऐसे अस्थाई निम्नवर्गीय सहायक जो निम्नवर्गीय सहायक के पद पर लगातार संतोषजनक सेवा तिथि ३०-११-१९६८ को तीन वर्ष होने के कारण स्थाई/औपबन्धिक स्थाई पदों पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किये गये हैं।

२. परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों को प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा में छूट दिये जाने के बारे में सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त (क) और (ख) श्रेणी के परीक्ष्यमाण सहायकों को यदि उनकी सेवा संतोषजनक हो तो सचिवालय अनुदेश के अनुबन्ध (अध्याय २) के नियम ९(२) (क) एवं (ख) को शिथिल कर प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दी जाय और आदेश निर्गत होने की तिथि से उन्हें सम्पुष्ट किया जाय।

३. उपर्युक्त कंडिका २ में दी गई सुविधा ऐसे अस्थाई निम्नवर्गीय सहायकों को, जो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या १२९२५ वि० दिनांक १२-९-१९६९ के अनुसार इस पत्र की कंडिका २ में वर्णित श्रेणी (क) एवं (ख) के हैं परन्तु अबतक परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त नहीं हो पाये हैं, परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त होने की तिथि से उपलब्ध होगी।

४. उपर्युक्त कंडिका-१ के (ग) श्रेणी के सहायकों के बारे में यह निर्णय हुआ है कि उन्हें सचिवालय अनुदेश के अनुबन्ध (अध्याय २) के नियम ९(२) (ख) में प्रशिक्षण सम्बन्धी जो प्रावधान है उसे शिथिल कर बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये ही प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा में बैठने का अधिकार दिया जाय। यह सुविधा ऐसे अस्थाई निम्नवर्गीय सहायकों को भी, जो श्रेणी (ग) में आने के अधिकारी हैं, परन्तु अभी तक उनकी नियुक्ति स्थाई/औपबन्धिक स्थाई पदों पर नहीं हो पाई है, परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त होने की तिथि से प्राप्त होगी।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(सुदेव मुखर्जी)
सरकार के उप-सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या-१/ई० सी० आर०-२/७३ का०-२०५ पटना-१५, दिनांक १८ फरवरी, १९७४।

सेवा में,

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

मुख्य वन संरक्षक, राँची।

विषय:— राजस्व पर्षद द्वारा संचालित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप सचिवालय की विभागीय प्राक्-सम्पुष्टि एवं उच्च-वर्गीय परीक्षा से छूट नहीं देने के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि आये दिन विभिन्न विभागों एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से इस आशय के अभिवेदन आते रहते हैं कि ऐसे निम्नवर्गीय सहायक, जो पहले मुफस्सिल कार्यालय में थे और वहां रहते समय राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा-परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये थे, को कार्मिक विभाग द्वारा संचालित विभागीय प्राक्-सम्पुष्टि एवं उच्च-वर्गीय परीक्षा के उस पत्र से छूट दे दी जाय जो बिहार सेवा संहिता, यात्रा-भत्ता नियमावली, सेवा-निवृत्ति नियमावली, भविष्य निधि नियमावली आदि विषयों से सम्बन्धित है।

२— इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा या उच्चवर्गीय परीक्षा से छूट देने का कोई उपबन्ध सचिवालय अनुदेश के नियमों में नहीं है, जिसमें प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा तथा उच्चवर्गीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की विधियां विहित हैं। जबकि प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा और उच्चवर्गीय परीक्षा के विषयों एवं प्रश्न-पत्रों में बहुत बड़ी समता है, फिर भी पहली परीक्षा उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी परीक्षा से छूट नहीं दी जाती है, तो इनसे लघु स्तर की परीक्षा (राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा सचिवालय सहायक से नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए विहित है) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उच्चतर परीक्षा से छूट देना न्यायसंगत नहीं है। यदि पूर्व में वित्त विभाग के द्वारा ऐसी छूट दी भी गई हो, तो उसे भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

(ब्रज भूषण सहाय)
सरकार के सचिव।

—•—

ज्ञाप संख्या २४८-का०।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

सेवा में

सभी विभाग/संलग्न कार्यालय,
सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य वन संरक्षक, रांची।

पटना, दिनांक २३ वीं फरवरी, १९७४।

विषय—३० नवम्बर, १९६८ तक लगातार तीन वर्षों की अस्थायी सेवा अवधि पूरी करने के फलस्वरूप परीक्ष्यमाण रूप में नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक-सम्पुष्टि परीक्षा से विमुक्ति।

वित्त विभाग से निर्गत सरकारी परिपत्र संख्या सं० सं० प्र०-२/१०१०/७१—५३५६-वि, दिनांक ५ जून, १९७१ के अनुसार ३० नवम्बर, १९६८ तक लगातार तीन वर्षों की अस्थायी सेवा पूरी करने के फलस्वरूप परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों को निम्नांकित तीन कोटि में श्रेणीबद्ध किया गया था :—

(क) ऐसे निम्नवर्गीय सहायक, जो १९६१-६२ में सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भर्त्ती परीक्षा में या उससे पूर्व किसी और विशेष/सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भर्त्ती परीक्षा में उत्तीर्ण थे।

(ख) ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक जो १९६६ में निम्नवर्गीय सहायकों की विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण स्थायी/औपबंधिक स्थायी पदों पर परीक्ष्यमाण रूप में नियुक्त किये गये।

(ग) ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक जिनकी निम्नवर्गीय सहायक के पद पर लगातार संतोषजनक सेवा तिथि ३० नवम्बर, १९६८ को तीन वर्ष होने के कारण स्थायी/औपबन्धिक पदों पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किये गये।

२। उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका २ के अनुसार उक्त (क) और (ख) श्रेणी के परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों को प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा से विमुक्ति दी गयी। (ग) श्रेणी के निम्नवर्गीय सहायकों को प्राक-सम्पुष्टि परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर ही संपुष्ट करने का आदेश दिया गया था।

३। उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार के पास कर्मचारियों की ओर से तथा विधान-सभा की आश्वासन समिति द्वारा बार बार ऐसा अनुरोध प्राप्त होता रहा है। चूंकि ३० नवम्बर, १९६८ को तीन वर्षों की सेवा अवधि वाले अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक से परीक्ष्यमाण रूप में नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों के उक्त (क) और (ख) श्रेणियों वाले को प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दे दी गयी, इसलिये उन्हीं के समकक्ष सेवा अवधि पूरी करनेवाले (ग) श्रेणी के अन्तर्गत वाले परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों को भी प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दे दी जाय।

४। सरकार ने कर्मचारियों की उक्त मांग तथा आश्वासन समिति के अनुरोध पर भलीभांति विचार के पश्चात यह निर्णय लिया है कि अपवाद स्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र संख्या ५३५६, दिनांक ५ जून, १९७१ में श्रेणीकरण के अनुसार (ग) श्रेणी में आनेवाले परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों को भी विशेष परिस्थिति में प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा से छूट देकर, उक्त परिपत्र के निर्गत या संतोषजनक परीक्ष्यमाण अवधि पूरी करने की तिथि, जो भी बाद में हो, संपुष्ट कर दिया जाय। सरकार द्वारा दी गयी यह सुविधा किसी अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा।

५। सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस आदेश के अन्तर्गत संपुष्ट किये गये निम्नवर्गीय सहायकों की सूची कार्मिक विभाग (संयुक्त संवर्ग शाखा) को निश्चित रूप से भेजें।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

बि स० ज्ञा० मु० (पी० एण्ड ए०) ४७—१,०००—२७-१०-१९७५—न० प्रसाद।

संकल्प संख्या १०/परी०-३०५/७४—२१५२-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

———

संकल्प

पटना—१५, दिनांक १९ जुलाई १९७४

विषय —निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा एवं उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा को मिलाकर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के लिए विभागीय परीक्षा।

सम्प्रति स्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है :—

(क) सचिवालय अनुदेश के नियम २.९ (२), (ख) के अनुसार निम्नवर्गीय सहायक के पदों पर सम्पुष्ट होने के लिए प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा और,

(ख) उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए उच्चवर्गीय परीक्षा।

२। उच्चवर्गीय परीक्षा तथा प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा के पत्र और विषयों में बहुत कुछ समता है। साथ ही कई सरकारी सेवाओं में सम्पुष्टि एवं उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अलग-अलग परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है। एक ही परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्टि के योग्य तथा उच्च स्तर से उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति, दोनों के योग्य सरकारी सेवक समझे जाते हैं।

४। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय एवं इससे सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों के लिए जो वर्त्तमान में प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा तथा उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा का प्रावधान है, उसे संयुक्त कर "सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा" के नाम से एक ही परीक्षा संचालित की जाय। सरकार ने इस क्रम में यह भी निर्णय लिया है कि इसमें न्यूनतम ४०% अंक प्रति विषय प्राप्त करनेवाले सहायकों को सम्पुष्टि की सक्षमता तथा ५५% अंक प्रति विषय प्राप्त करनेवालों को सम्पुष्टि एवं उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति दोनों के लिए सक्षमता प्राप्त होगी। जिन सहायकों को इस परीक्षा के फलस्वरूप ४०% या उससे अधिक किन्तु ५५% से कम अंक प्राप्त होंगे, उन्हें उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में ५५% अंक प्राप्त करने हेतु पुनः उत्तीर्ण होना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें केवल चार अवसर दिये जायेंगे। यदि वे लगातार चार अवसरों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् भी उच्चतर अर्थात् ५५% अंक प्राप्त कर विभागीय परीक्षा पास न हो सकेंगे तो उनका अवक्रमण, उच्चतर में उत्तीर्ण उनके कनीय परीक्षोत्तीर्ण सहायकों के द्वारा हो जायगा।

४। अभी बहुत से ऐसे परीक्ष्यमाण सहायक हैं, जो चालू प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा या उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा में आंशिक रूप से उत्तीर्ण हैं। अतः उनके हित को दृष्टि में रखते हुए उपर्युक्त "सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा" के साथ-साथ, वर्त्तमान में चालू प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा एवं उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा तीन अवसरों के लिये चालू रखी जायगी। इन तीन अवसरों के अन्तर्गत पूर्णरूप से उत्तीर्ण नहीं होने पर उम्मीदवारों को उपर्युक्त विभागीय परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। यों इसके पूर्व भी यदि उम्मीदवार चाहें, तो उन्हें वर्तमान विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट रहेगी।

५। उपर्युक्त "सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा" के पत्र एवं विषय सरकार ने जैसा निर्धारित किया है, वह परिशिष्ट के रूप में अनुलग्न है।

६। ये आदेश तुरत लागू होंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं परिचारण हेतु भेजी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या १०/परी० ३०५/७४—२१५२-का०

पटना-१५, दिनांक १९ जुलाई, १९६४।

प्रतिलिपि—सभी सचिवालय विभागों / संलग्न कार्यालयों / विभागाध्यक्षों (प्रमंडलीय आयुक्तों तथा मुख्य-वन संरक्षक रांची समेत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

२। कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) सचिवालय अनुदेश के आनुषांगिक नियम का शीघ्र संशोधन निर्गत करेंगे।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या १०/परी० ३०५/७४—२१५२-का०

पटना-१५, दिनांक १९ जुलाई, १९७४।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के एक विशेषांक में उक्त संकल्प को तुरत प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

२। सम्बन्धित राजपत्र के विशेषांक की एक हजार प्रतियां कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को निश्चित रूप से भेजी जाय।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

परिशिष्ट

सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा के पत्र एवं विषय

प्रथम पत्र

विषय - (१) सचिवालय अनुदेश
(२) कार्यपालिका नियमावली
(३) भारतीय संविधान से लोक सेवा विषयक अंश
(४) असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,
(५) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यपरिसीमन), और सरकारी सेवक आचार नियमावली।

केन्द्रीय असैनिक सेवा और आचार नियमावली, जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के पदाधिकारियों पर लागू है।

द्वितीय पत्र

विषय—(१) टिप्पणी, लेखन एवं प्रारूपण
(२) पत्राचार के प्रपत्र और नियम
(३) परिसंक्षेपण
(४) विभिन्न प्रकार के पत्रों एवं आदेशों की परिभाषा।

तृतीय पत्र

विषय—(१) बिहार सेवा संहिता
(२) बिहार पेंशन नियमावली
(३) बिहार यात्रा-भत्ता
(४) बिहार वित्त नियमावली
(५) बिहार भविष्य निधि नियमावली
(६) उपचार नियमावली

टिप्पणी—प्रत्येक पत्र का पूर्णांक १०० (एक सौ) होगा तथा निम्नस्तर से उत्तीर्ण होने के लिए ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

बि० स० सा० मु० (पी० ऐंड ए०) ४५—१,००० —१०-१९७४—न० प्रसाद।